ग्राम पंचायत जोल, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2013 से 3/2016

भाग–एक

1. (क) प्रस्तावना :–

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत जोल विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे।

प्रधान :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री चन्द्र रेखा धीमान	1.4.2013 से 22.1.2016
2.	श्रीमति रीता देवी	23.1.2016 से अघतन

सचिव :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री राज कुमार चौधरी	1.4.2010 से 2.3.2015
2.	श्री राज कुमार धीमान	3.3.2015 से अद्यतन

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत जोल के लेखाओं अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1.	6	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.26
2.	7	खाता 'ख' के अर्जित ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न करना	0.13
3.	8(ii)	अनुदानों को उपयोग न करना	11.81

4.	9	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बगैर स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	6.75
5.	10	पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय किए सामान को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करना	4.04
6.	11	पंचायत द्वारा क्रय किए गए औषधीय पौधों एलोवेरा व प्याज की पनीरी की स्टॉर रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व जारी/वितरण प्रविष्टियां दर्ज न करना	2.45

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत जोल, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 30.7.2016 से 3.8.2016 तक पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 1/14, 9/14, 3/16 व 1/14, 9/14, 9/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत जोल, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 227, दिनांक 1.8.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत जोल से अनुरोध किया गया। तदानुसार सचिव, ग्राम पंचायत जोल के द्वारा के0सी0सी0वी0 टकोली के बैंक ड्राफ्ट संख्याः 664997, दिनांक 4.8.2016 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को प्रेषित किया गया है।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत जोल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी।

(1) स्वः स्त्रोत :–

ग्राम पंचायत जोल के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	103142.54	144173	247315.54	60896.70	186418.84
2014–15	186418.84	51294	237712.84	118285.40	119427.44
2015–16	119427.44	63963	183390.44	17018.22	166372.22

(2) अनुदान :–

ग्राम पंचायत जोल के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–'1'** में भी दिया गया है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	1017353.44	3683994	4701347.44	3892115.94	809231.50
2014–15	809231.50	1383307.70	2192539.20	1374218.70	818320.50
2015–16	818320.50	1877052	2695372.50	1514389	1180983.50

4.1 बैंक समाधान विवरणी :–

जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत जोल द्वारा मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप दिनांक 31.3.2016 को निम्न विवरणानुसार रोकड़ वही तथा बैंक खाते में ₹540449.80 का अन्तर था। अतः पंचायत की रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

दिनांक 31.3.2016 को स्वः स्त्रोत का अन्तशेष	=	166372.22
दिनांक 31.3.2016 को अनुदानों का अन्तशेष	=	1180983.50
	कुल योग	**₹1347355.72**

अन्तशेष का विवरण :–

क्र0 सं0	खाता सं0	बैंक का नाम	निधि	राशि	हस्तगत राशि	कुल योग
1.	20078007621	के0सी0सी0वी0	सामान्य / सभा	792422	–	792422

		बंगाणा	निधि			
2.	1444000400050430	पी0एन0बी0 मोमन्यार	–यथोपरि–	7719.92	–	7719.92
3.	1444001700007800	–यथोपरि–	आई0डब्ल्यू0 एम0पी0	6688	76	6764
			योग	**₹806829.92**	**76**	**₹806905.92**

अन्तर (1347355.72–806905.92)=₹540449.80

4.2 रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना :–

रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमित अन्तर ₹540449.80 बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.3 एकीकृत जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम–I में अंशदान की प्राप्ति को वित्तीय स्थिति में न दर्शाया जानाः–

ग्राम पंचायत जोल में दिनांक 31.3.2016 को एकीकृत जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम–I अंशदान की रोकड़ वही व बचत बैंक खाता संख्याः 1444000100058599 में ₹89884 शेष थी, लेकिन सचिव ग्राम पंचायत जोल द्वारा अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक तैयार की गई वित्तीय स्थिति में अवधि 4/13 से 3/2016 में अंशदान के रूप में प्राप्ति व ब्याज को वित्तीय स्थिति में नहीं दर्शाया गया था। अतः एकीकृत जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम–I में अंशदान प्राप्त आय व ब्याज को वित्तीय स्थिति में न दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

5. बजट प्राक्कलन तैयार न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट

प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

6. पंचायत राजस्व गृहकर ₹0.26 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :–

(क) सचिव ग्राम पंचायत जोल द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत राजस्व गृहकर ₹26350 की वसूली शेष थी।

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	अन्तशेष
2013–14	25180	12675	37855	37855	शून्य
2014–15	शून्य	12675	12675	शून्य	12675
2015–16	12675	13675	26350	शून्य	26350

अतः उपरोक्त उल्लेखित गृहकर ₹26350 की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ख) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार फार्म–10 पर पंचायत के गृहकर का मांग एवं एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार किया जाना अपेक्षित था। पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के अन्तर्गत गृहकर का मांग एवं एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया व न ही अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया गया। अतः गृहकर मांग एवं एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7. खाता (ख) के ब्याज ₹0.13 लाख को खाता (क) में अन्तरित न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रति वर्ष, माह : जनवरी तथा जुलाई में पचायत द्वारा खाता 'ख' से अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता 'क' में अन्तरित किया जाना अपेक्षित था, परन्तु ग्राम पंचायत जोल के खातों की जांच करने पर पाया गया कि उक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निम्नानुसार अनुदानों पर प्राप्त ब्याज राशि को स्वयं संसाधनों के खाता 'क' में ₹13076.70 को अन्तरित नहीं किया है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व तुरन्त प्रभाव से खाता 'ख' के बैंक खातों में अर्जित ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में नियमानुसार अनुपालना की जानी सुनिश्चित की जाए।

वर्ष	आई0डब्ल्यू0एम0पी0–I	मनरेगा	योग
2013–14	4162	5871	10033
2014–15	701	179.70	880.70

2015–16	2163	–	2163
कुल योग	**₹7026**	**₹6050.70**	**₹13076.70**

8. (i) प्राप्त अनुदान की राशि से ₹0.43 लाख का अधिक व्यय :–

सचिव ग्राम पंचायत जोल द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़ों तथा वित्तीय स्थिति परिशिष्ट–1 के अनुसार अनुदान में दिनांक 31.3.2016 को निम्न विवरणानुसार ₹43470.50 ऋणात्मक दर्शाई गई है, जोकि किसी अन्य योजना के व्यय का लेखांकन तृतीय वित्तायोग, बारहवें वित्तायोग, कल्याण व आई0ए0वाई0 अनुदान में अथवा अन्य योजना से भुगतान करने के फलस्वरूप है। अतः उक्त अनियमितता का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करने उपरान्त अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(1)	तृतीय वित्तायोग	=(–)7526.00
(2)	बारहवें वित्तायोग	=(–)4377.50
(3)	कल्याण	=(–)50.00
(4)	आई0ए0वाई0	=(–)31517.00
	कुल योग	**=(–)₹43470.50**

(ii) अनुदान ₹11.81 लाख का उपयोग न करना :–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–'1'** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹1180983.50 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

9. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹6.75 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–'2(इसे iii)'** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹674684

के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10. पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय किए गए ₹4.07 लाख के सामान को स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज न करनाः–

हिमाचल प्रदेष पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 70 के अनुसार क्रय व जारी किए गए सामान की प्रविष्टियां स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों में की जानी अपेक्षित थी। अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट–'3(iसे iii)'** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹404394 का स्टॉक/स्टोर क्रय किया गया, लेकिन उक्त सामान की स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों में प्राप्ति प्रविष्टियां नहीं की गई। अतः अपेक्षित अभिलेख तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अभिलेख पूर्ण कर आगामी अंकेक्षण में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11. ₹2.45 लाख के क्रय किए गए ऐलोवेरा व प्याज की पनीरी की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियां व जारी/वितरण प्रविष्टियां दर्ज न करना :–

जांच के दौरान पाया गया कि एकीकृत जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम की रोकड़ वही से माह 4/2014 के दौरान विभिन्न वाउचरों के अन्तर्गत ऐलोवेरा के पौधों व प्याज की पनीरी का क्रय करके निम्न विवरणानुसार ₹244500 का भुगतान किया गया है।

क्र0 सं0	वा0 सं0/ दिनांक	फर्म का विवरण	क्रय सामान विवरण	मात्रा	दर	मूल्य (₹)
1.	25(i), 10.1.14	प्रभु हर्बल गार्डन गांव मगरू सुरयाला डा. अलोह तहसील रक्कड़ जिला कांगड़ा	ऐलोवेरा	8000	4.80	38400
			किराया	–	–	1200
2.	25(ii), 10.1.14	–यथोपरि–	ऐलोवेरा	9312	4.80	44697.60

3.	25(iii), 10.1.14	–यथोपरि–	ऐलोवेरा	9313	4.80	447020.40
4.	28, 24.1.14	मैसर्ज शर्मा, कृषि एवं बीज कीपिंग सन्तोषगढ़ जिला ऊना	प्याज पनीरी	1500 कि0ग्रा0	55	82500
5.	29, 24.1.14	रोहित फार्मस गांव व डाक घर अंब जिला ऊना (हि0प्र0)	प्याज पनीरी	600 कि0ग्रा0	55	33000
					योग	**₹244500**

उपरोक्त क्रय संख्या : 1 से 5 पर उल्लेखित ₹244500 के क्रय किए गए ऐलोवेरा के पौधों व प्याज की पनीरी की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियां व जारी/वितरण प्रविष्टियां अंकित नहीं है, जबकि हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 70 के अनुसार क्रय व जारी किए गए स्टोर/स्टॉक की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्रविष्टियां की जानी अपेक्षित है। अतः अपेक्षित अभिलेख तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अभिलेख पूर्ण कर आगामी अंकेक्षण में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12. रोकड़ वही का निर्माण नियमानुसार न करना :–

(i) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता 1 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जाएंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता 'क' के रूप में जाना जाएगा। इसी तरह नियम–3 में संहिता संख्या : 51 से 99 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान, विशेष प्रयोजनों के लिए आवंटित निधियां खाता 'ख' के रूप में जानी जाएगी, परन्तु जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए एक ही रोकड़ वही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है, जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ वही का रख–रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता 'क' व 'ख' के अनुरूप रोकड़ वही का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) ग्राम पंचायत जोल की रोकड़ वहियों की जांच करने पर पाया गया कि रोकड़ वहियों का रख–रखाव नियमानुसार नहीं किया गया है। अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक रोकड़ वहियों में न

तो प्रतिदिन व प्रत्येक माह का आरम्भिक शेष उठाया गया है व न ही प्रतिदिन व प्रत्येक माह का अन्तिम शेष निकाला गया है। शीर्षवार खाता वही भी तैयार नहीं की गई है, जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। उक्त अनियमितता के कारण वित्तीय स्थिति में दिनांक 1.4.2013 से 31.3.2016 तक दर्शाए गए आरम्भिक एवं अन्तिम शेषों की सत्यापना वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी। अतः रोकड़ वही में प्रत्येक दिनांक का आरम्भिक एवं अन्तिम शेष न दर्शाने व शीर्षवार खाता वही तैयार न करने के कारण स्पष्ट किए जाएं व तुरन्त प्रभाव से रोकड़ वहियों का रख–रखाव निर्धारित नियमों के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13. वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुरूप लेखों का रख–रखाव ग्राम पंचायत जोल द्वारा नहीं किया गया, जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है, जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत जोल के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थी, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. टी0डी0एस0 की कटौती न करना :–

आयकर की धारा 194(सी0) में विहित प्रावधानों के अनुसार किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी भी व्यक्ति संविदाकार अथवा फर्म को किए गए ₹3000 से अधिक के किसी भी एकल भुगतान अथवा ₹75000 से अधिक सकल भुगतान पर 2% की दर से व एकल व्यक्ति की अवस्था में 1% की दर से टी0डी0एस0 की कटौती की जानी अपेक्षित है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक विभिन्न व्यक्तियों, ठेकेदारों व फर्मों से टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की गई है, जिससे फलस्वरूप सरकारी कोष में आय की टी0डी0एस0 के रूप में हानि हुई है। अतः अंकेक्षण अवधि के अन्तर्गत टी0डी0एस0 के रूप में कम जमा हुई राशि की गणना संस्था स्तर पर करने के उपरान्त सम्पूर्ण राशि उचित स्त्रोत से वसूली करके सरकारी कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व भविष्य में आयक की धारा 194(सी) के प्रावधानों के अनुसार टी0डी0एस0 की कटौती की जानी सुनिश्चित की जाए।

15. (i) स्टोर सामग्री का क्रय व उपायन करने के प्रयोजन हेतु उप समिति का गठन न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 की धारा 67(3) के अनुसार प्रत्येक ग्राम स्टोर (सामान) के क्रय व उपायन के प्रयोजन से निम्नलिखित विधि से एक उपसमिति गठित करेगी।

(क) ग्राम पंचायत की दशा में प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा नाम निदिृष्ट किए जाने वाले दो वार्ड सदस्य व ग्राम पंचायत का सचिव।

अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत जोल द्वारा स्टोर (सामग्री) का क्रय करने व उपायन हेतु उप समिति का गठन नहीं किया गया है, जोकि पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 की धारा 67(3) की अवहेलना है। अतः स्टोर (सामग्री) उपायन उपसमिति के गठन के बिना क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अंकेक्षण अवधि के दौरान उप समिति के गठन के बिना अनियमित रूप से क्रय की गई स्टोर (सामग्री) को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए।

(ii) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संपरिक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के उप नियम 93 के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन करना अनिवार्य है, ताकि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। सहभागी समिति निम्नलिखित सदस्य शामिल कर गठित की जानी अपेक्षित थी।

(i) सम्बन्ध ग्राम पंचायत का प्रधान/उप प्रधान

(ii) सम्बन्ध वार्ड का ग्राम पंचायत सदस्य

(iii) महिला मंडल से एक सदस्य

(iv) युवक मंडल से एक सदस्य

(v) सम्बन्ध क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थान से एक शिक्षक

अंकेक्षण अवधि के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जोल द्वारा निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन नहीं किया था व सभी कार्य सहभागी समिति के बिना स्वयं करवाए गए है, जोकि पंचायत राज अधिनियम 2002 के अध्याय–प्प के उप नियम–93 व पारदर्शिता नियमों की अवहेलना है। अतः निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सहभागी समिति के अनुमोदन के बिना अनियमित रूप से करवाए गए सभी कार्यों को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए व भविष्य में प्रत्येक निर्माण कार्य सहभागी समिति अथवा उप नियम–93(b) के अनुसार पंजीकृत संस्था जैसे कि महिला मंडल, युवक मंडल व वाटर

शैड विकास कमेटी इत्यादि के माध्यम से करवाए जाने सुनिश्चित किए जाएं। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा रखे जाने वाले रिकॉर्ड का रख–रखाव न करना :–

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित अभिलेख का रख–रखाव अपेक्षित है।

(1) आवेदन पंजीकरण रजिस्टर (B-7)

(2) जॉब कार्ड रजिस्टर (B-8)

(3) रोजगार रजिस्टर (B-9)

(4) सम्पदा रजिस्टर (B-10)

(5) शिकायत रजिस्टर (B-11)

ग्राम पंचायत जोल द्वारा उपरोक्त अभिलेख तैयार नहीं किया गया था, जोकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम–2005 के नियमों की अवहेलना है। अतः नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित अभिलेख का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अपेक्षित था, लेकिन जांच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म सं0	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	1	12
2.	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	–	103
4.	मासिक समाधान विवरणी	–	15(1)
5.	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)

6.	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8.	डाक रजिस्टर	24	61(2)
9.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
10.	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

18. प्रत्यक्ष सत्यापन :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19. लघु आपत्ति विवरणिका :– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

20. निष्कर्ष :– लेखों के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन (एल0ए0)एच0(पंच)15(v)10/2016, खण्ड–1–5570–5573 दिनांकः 24.10.2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत जोल, विकास खण्ड बंगाणा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–09 को पैरा संख्या 1(ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना हि0 प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बंगाणा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना हि0 प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.